संख्या- 29 /2025/2268/58-2025/1976500

प्रेषक,

विनय कुमार,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 28 अक्टूबर, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-03-0304-राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण (भारित) की योजना में रू0-14.56 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-59/बजट/2025-26, दिनांक 26.09.2025 के सन्दर्भ में शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-बजट-1-114/ई-1/दस-2025, दिनांक-17.10.2025 एवं पृष्ठांकन संख्या-2415/58-2025, दिनांक-21.10.2025 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-03-0304-राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण (भारित) की योजना के मानक मद 01-वेतन में रू0-9.00 लाख एवं 02-मजदूरी में रू0-5.56 लाख, इस प्रकार कुल रू0-14.56 लाख की उपलब्ध हो रही बचतों को पुनर्विनियोग के माध्यम से योजनान्तर्गत मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में धनराशि **रू0-14.56 लाख (रू0 चौदह लाख छप्पन हजार मात्र)** स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

gov.in

5. विभागीय राजकीय पौधशालाओं, उद्यानों, पार्कों, प्रक्षेत्रों पर कार्यरत दैनिक श्रमिकों को अर्द्धकुशल माली की श्रेणी में मानते हुए दैनिक श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान रू0-237/- के स्थान पर श्रम विभाग द्वारा निर्धारित रू0-453/- की दर से किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

6. उद्यान विभाग द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-1/194/36-03-2014-07/(न्यू0वे0)/04, दिनांक 28-01-2014 के क्रम में विभागीय राजकीय पौधशालाओं, उद्यानों, पार्कों, प्रक्षेत्रों पर कार्यरत दैनिक श्रमिकों को अर्द्धकुशल माली की श्रेणी में मानने एवं उप श्रमायुक्त के पत्र सं0-801-07/प्रवर्तन- (एम0डब्ल्यू0)/15, दिनांक 01-10-2024 द्वारा अर्द्धकुशल श्रमिकों की निर्धारित मजदूरी की दर रू0-453/- के अनुसार भुगतान किये जाने पर श्रम विभाग की सहमति प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

7. वित्तीय स्वीकृतियॉं जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

8. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक- 27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के प्राविधानों के अनुसार नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,56,000 (रुपये चौदह लाख छप्पन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 2401001190304 राज भवन के उद्यानों का अनुरक्षण **मानक मद** 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 29/2025/2268(1)/58-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ-द्वारा निदेशक।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय कुमार)
संयुक्त सचिव।

https://sl